19/5/18 पत्रावली दिनांक 18/5/2018 को राजकीय अवकाश होने से आज पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट एवं पेशकार सरकार उपस्थित। संक्षिप्त विवाद मामला इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपील मेमो विरुद्ध इन्तकाल सं. 126 निर्णय दिनांक 05/08/2014 ग्राम पंचायत रेनखेड़ा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि मौजा जेमलिया पटवार हल्का रेनखेड़ा तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2070-73 के खाता सं. 42 खसरा सं. 220 रकबा 2.58 हे० लगानी 12.70 रु० खाते में मन्दा अंकार मेक जरिये पिता नाथू भील साण्डे खातेदार दर्ज रेकार्ड है जो नामा० इन्तकाल 126, दिनांक 05/8/2014 विरासत से खाता नन्दा बेटी पिता भेरू 1/2 नारायण शीलाबाई भूलीबाई जरिये 1/2 भील साण्डे के नाम दर्ज होने की स्वीकृति हुई। उक्त इन्तकाल निर्णीत करते वक्त ग्रा.प. रेनखेड़ा द्वारा स्व. भेरूजी के वारिसान की सही तरीके से जानकारी नहीं करते हुए आनन-फानन में भूल व त्रुटिवश गलत

... लगातार

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी **मुकाम-रावतभाटा**

किस्म मुकदमा .... अपील .... बनाम .... नं. .... 01 .... सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस में जारी हुए
X	निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट नन्दा एंव बंशी के पिता के स्थान पर दादा भेरूजी का नाम इन्द्राज कर दिया, जबकि पिता का नाम होकम्या है। स्व. भेरू व भंवरिया का पारिवारिक सजरा (वंश वृक्ष) निम्न प्रकार है:	

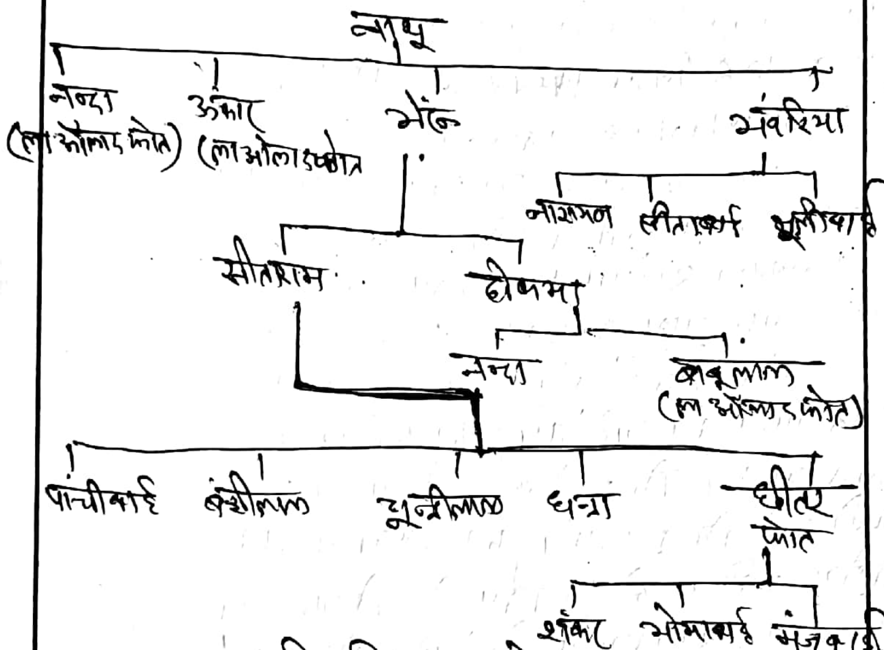

उक्त पारिवारिक सजरे के अनुसार अपीलान्ट के पिता का नाम होकम्या होना चाहिए था तथा बंशी के पिता का नाम सीताराम होना चाहिए था। अपीलान्ट के पिता होकम्या ~~तथा~~ का स्वर्गवास हो चुका है तथा सीताराम का भी स्वर्गवास हो चुका है। अपीलान्ट के पिता होकम्या के नाम के स्थान पर अपीलान्ट के दादा भेरू का नाम इन्द्राज हो गया है, जो गलत है. इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 126 दिनांक 05/8/2014 को खारीज कर स्व. भेरूजी के वारिसान की जांच कर नये सिरे से इन्तकाल निर्णित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट तलब .... मिसल ...

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा

Scanned by CamScanner

प्र.सं. अपील 01/2017

..को नोटिस जारी किए गए। रेस्पोंडेन्ट सं. 1 व 2 ने
जवाब प्रस्तुत किये। रेस्पोंडेन्ट सं. 1 अनुपस्थित
रहने से इनके विरुद्ध दिनांक 13/4/2017 को एक
पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए। अधिवक्ता
अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट सं. 2 पैरोकार सरकार
की बहस सुनी गई।

इसके पत्रावली का गहनता से अवलोकन
कर उभय पक्ष की बहस पर गम्भीरता से
मनन किया। अपीलान्ट द्वारा अपील मेमो
मे वर्णित सजरे से एवं रेस्पोंडेन्ट सं. 2 के
जवाब मे वर्णित तथ्यो से स्पष्ट है कि
ग्राम पंचायत रनखेड़ा द्वारा नामान्तरकरण
संख्या 126 बिना विस्तृत जांच किए
दिनांक 05/8/2014 को निर्णित किया गया है।
उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट
स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर
नामान्तरकरण संख्या 126 निर्णय दिनांक
05/8/2014 ग्राम [illegible] पं. ह. रनखेड़ा
निरस्त किए जाते है एवं प्रकरण तहसीलदार
रावतभाटा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित
किया जाता है कि अपीलार्थी के पारिवारिक
सजरे की विस्तृत जांच कर विधि सम्मत
निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति पालनार्थ
तहसीलदार रावतभाटा को प्रेषित की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा